न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1033/2024
अनवान : –

1. रोहिताश पुत्र लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मनभरी पत्नी लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. भरत सिंह पुत्र लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. सिलोचना देवी पुत्री लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 09/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 540/523 की कुल 1.8370 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 164/167 की कुल 9.1560 हैक्ट भूमि में से 107/763 हिस्सा भूमि लेखराम के नाम दर्ज है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लेखराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। लेखराम पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है। लेखराम पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण लेखराम शपथ पत्र बाबत सदस्य बहक रोहिताश दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लेखराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लेखराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। लेखराम पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है। लेखराम पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 540/523 की कुल 1.8370 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 164/167 की कुल 9.1560 हैक्ट भूमि में से 107/763 हिस्सा भूमि लेखराम के नाम दर्ज है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लेखराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लेखराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। लेखराम पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है। लेखराम पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है, वादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 त 4 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अलावा मृतक लेखराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 540/523 की कुल 1.8370 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 164/167 की कुल 9.1560 हैक्ट भूमि में से 107/763 हिस्सा भूमि लेखराम के नाम दर्ज है, में मृतक लेखराम पुत्र रावताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1033/2024

अनवान : –

1. रोहिताश पुत्र लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मनभरी पत्नी लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. भरत सिंह पुत्र लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. सिलोचना देवी पुत्री लेखराम जाति खाती निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1033 सन 2024 निर्णय दिनांक – 09/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 540/523 की कुल 1.8370 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 164/167 की कुल 9.1560 हैक्ट भूमि में से 107/763 हिस्सा भूमि लेखराम के नाम दर्ज है, में मृतक लेखराम पुत्र रावताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:34 IST
Reason: SelfAttested